

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 मार्च, 2017

विषय: रबी विपणन सत्र 2017-18 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय एजेन्सी नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि National Federation of Farmers Procurement, Processing & Retailing Cooperatives Of India Ltd (NACOF), National co-operative Consumers Federation Of India Ltd. (NCCF) एवं उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि० को उत्तराखण्ड राज्य में रबी विपणन सत्र 2017-18 हेतु निम्न शर्तों के अधीन क्रय संस्था नामित किया जाता है—

1. उक्त संस्थाओं द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों से गेहूँ क्रय हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था स्वयं अपनी साख के आधार पर सुनिश्चित की जानी होगी। राज्य सरकार के पास बोरे उपलब्ध न होने की स्थिति में बोरों की व्यवस्था भी क्रय संस्था को स्वयं करनी होगी।
2. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार जनपदों के सुदूर आन्तरिक क्षेत्रों में जिलाधिकारियों के अनुमोदन उपरान्त गेहूँ क्रय केन्द्रों का संचालन, स्टाफ की नियुक्ति, क्रय केन्द्रों पर हैण्डलिंग कार्य हेतु श्रमिकों की व्यवस्था एवं क्रय केन्द्र से निर्धारित स्टेटपूल डिपो तक क्रय गेहूँ की संचरण की व्यवस्था भी क्रय संस्था द्वारा स्वयं सम्पन्न की जानी होगी।

उक्त से अवगत होते हुए प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन),
प्रमुख सचिव

संख्या 266(i)/17-XIX-2/42 खाद्य/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक

DGM(P/S)
18/3/17

18/3/17

आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड से सम्पर्क करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

- 1- उप महाप्रबन्धक, National Federation of Farmers Procurement, Processing & Retailing Cooperatives Of India Ltd (NACOF), 1st Floor, C-145, Pushpanjali, Sector-A, Mahanagar Lucknow.
- 2- क्षेत्रीय प्रबन्धक, National co-operative Consumers Federation Of India Ltd. (NCCF), 24 रामविहार बल्लूपुर, देहरादून।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि०, उपभोक्ता भवन वालाकदर रोड़, लखनऊ
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
A
(अनिल कुमार पाण्डे),
अनु सचिव

कार्यालय-उ०प्र० उपभोक्ता सहकारी संघ लि०, लखनऊ

पत्रांक 159-62 /उप्रसस/गो०ख०/2017-18

दिनांक-18-4-17

प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्गत शासनादेश सं० 266(i)/17-XIX-2/42 खाद्य/2016 दिनांक 17-03-2017 की प्रति संलग्न कर निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०उपभोक्ता सहकारी संघ लि०, मुनी की रेती एवं हल्द्वानी/बरेली को इस निर्देश के साथ कि वह तत्काल आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड से सम्पर्क कर रवी विपणन वर्ष सत्र 2017-18 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार एवं उद्यम सिंह नगर में क्रमशः 02 एवं 05 गेहूँ क्रय केन्द्र स्वीकृत कराते हुए संचालित करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करायें।

(2) उपमुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), संघ मुख्यालय।

(3) मा० अध्यक्ष महोदय, संघ मुख्यालय को अवलोकनार्थ।

संलग्नक-यथोपरि।

(डा०एन०के०अग्रवाल)

प्रबन्ध निदेशक

18/4/17